

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 01-01/2014/दो-ए(3)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/11/2014

संचालक,  
संपदा संचालनालय  
भोपाल

विषय :- शासकीय आवास आवंटन- अधिकारीगण ।

000

राज्य शासन निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शया गया शासकीय आवास आवंटित करता है :-

क्र०	नाम, पदनाम एवं विभाग	पूर्व आवंटित आवास क्रमांक	नवीन आवंटित आवास क्रमांक	रिमार्क
1	श्री विनोद कुमार, भाप्रसे, सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	डी-4/14, चार इमली	सी-2/15, चार इमली	पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए रिक्त होने पर
2	श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल	डी-14, 74 बंगला	डी-3/2, चार इमली	पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए रिक्त होने पर
3	श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु., भोपाल	---	डी-3/6, चार इमली	रिक्त होने पर
4	श्री एन.पी. डहेरिया, अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल	---	डी-2/22, चार इमली	रिक्त होने पर
5	श्री चरुण वर्मा, अपर संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल	---	डी-11/10, चार इमली	रिक्त होने पर
6	श्रीमती भावना वालिम्बे, उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल	---	डी-2/11, चार इमली	रिक्त होने पर
7	श्री के.के. दुबे, संचालक, गैस राहत एवं पदेन उप सचिव, गैस राहत	---	डी-1/4, प्रोफेसर कालोनी	रिक्त होने पर



8	श्री अविनाश सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, पु.मु., भोपाल	---	डी-2/7, चार इमली	रिक्त होने पर
9	श्री वीरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल	---	डी-14, 74 बंगला	रिक्त होने पर
10	श्री सुनील दुबे, अवर सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	---	ई-8/17, चार इमली	रिक्त होने पर
11	डॉ० नीता सक्सेना, दंत चिकित्सक, शा. हमीदिया अस्पताल, भोपाल	---	ई-100/39, शिवाजी नगर	पति की सेवानिवृत्त के कारण
12	डॉ. एम.सी. किशोरे, संयुक्त कलेक्टर, विशेष सहायक, मंत्री, उच्च शिक्षा	---	ईएन-2/6, चार इमली	रिक्त होने पर
13	प्रोफेसर माधवी लता दुबे	---	ई-100/40, शिवाजी नगर	रिक्त होने पर
14	श्री के.के. द्विवेदी, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	---	ई-115/7, शिवाजी नगर	रिक्त होने पर (श्री अजीत श्रीवास्तव को किया गया आवंटन आदेश निरस्त करते हुए)
15	श्री ललित दाहिमा, उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	---	ई-11/8, चार इमली	रिक्त होने पर
16	श्री बनवारीलाल सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय	ई-109/39, शिवाजी नगर	ई-109/34, शिवाजी नगर	रिक्त होने पर


2- उपर्युक्तानुसार आवंटन आदेश जारी करें। आवंटिती द्वारा उक्त आवास रिक्त होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आधिपत्य नहीं लेने पर आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा। आवास आधिपत्य की सूचना इस विभाग को अवश्य दें।

3- अधिकारी के पास यदि अपना निजी आवास भोपाल में हो तो नियमानुसार मूलभूत नियम-45 बी के अन्तर्गत सामान्य दर से दुगुनी दर पर लायसेंस शुल्क वसूल किया जाये।

4- पूर्व में शासकीय आवास आवंटित रहा हो तो बकाया लायसेंस शुल्क जमा कराने के बाद ही आवास का आधिपत्य दिया जावे।



5- अभिलेख हेतु अधिकारी से तीन पासपोर्ट साइज के फोटो संपदा संचालनालय के उपयोगार्थ प्राप्त कर आवंटन आदेश जारी करें।

  
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

गृह (सामान्य) विभाग


भोपाल, दिनांक 18/11/2014

पू0कमांक एफ 01-01/2014/दो-ए(3)

प्रतिलिपि :-

संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुख.....

- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय,
- 3- आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल। कृपया आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे,
- 4- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नया भोपाल संभाग, भोपाल। कृपया नियमानुसार लायसेंस शुल्क की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें,
- 5- संबंधित अधिकारी.....
- 6- फोल्डर प्रति,  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
18-11-14

उप-सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

गृह (सामान्य) विभाग